

प्रेस नोट दिनांक-16.11.2022

(1). दिनांक-16.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 16.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). SHO महिला थाना एवं उनकी टीम द्वारा पति-पत्नी के आपसी विवाद के समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया

आपसी मतभेद/विवाद को भूल पति-पत्नी एक दूजे के साथ खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती सविता श्रीवास्तव द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती राखी और गंगा पुत्री श्री नारायण द्विवेदी निवासी अहिरन टिकरा चौकी सीतापुर जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री रवि कांत मिश्रा पुत्र त्रिभुवन मिश्र निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट उनके साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते हैं एवं ससुराल में अपने साथ नहीं रख रहे हैं एवं खर्चा नहीं दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती सविता श्रीवास्तव एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर पति से सम्पर्क करके महिला थाना बुलाया गया एवं दोनों पक्षों को समझाया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर रहें।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती सविता श्रीवास्तव
2. महिला आरक्षी रीता यादव
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी

(4). आज दिनांक-16.11.2022 को यातायात माह नवम्बर के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री एस0पी0 सोनकर के पर्यवेक्षण में टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा ज्ञान भारती इण्टर कॉलेज कर्वी में यातायात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टीएसआई द्वारा बताया गया कि 02/04 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट अवश्य लगाये, छात्रों को बताया गया कि जब तक 18 वर्ष की उम्र न हो एवं ड्राइविंग लाइसेंस न बना हो तब तक वाहन न चलाए। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पश्चात वाहन चलाये। 02/04 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/हेडफोन का प्रयोग कतई न करें। धीमी गति से वाहन चलाये कभी भी जल्दबाजी में वाहन तेज गति से न चलाये। अपने परिवारीजनों को घर से जाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करें तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताये। कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो तो उसमें घायलों की मदद अवश्य करें डरें नहीं, परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसलिए बिल्कुल भयभीत न हो। टीएसआई द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा यातायात संकेतों के सम्बन्ध में भी बताया गया।

इसके पश्चात टीएसआई द्वारा अपनी टीम के साथ कर्वी शहर में 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग भी की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, 03 सवारी, ओवरस्पीड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की गयी। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये।

संगोष्ठी में प्रधानाचार्य ज्ञान भारती इण्टर कॉलेज कर्वी श्री छोटेलाल, आरक्षी यातायात देवेन्द्र राजपूत, आरक्षी यातायात मदन कुमार, आरक्षी यातायात श्री चन्द्रवीर सिंह एवं छात्र-छात्रायें उपस्थित रही।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रोहित जोशी पुत्र महेश निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

40 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी अमर
3. आरक्षी अभिषेक कुमार

(6). आज दिनांक 16.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदय द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।